जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी– 3153 दिनांक :– 01-06-2022

विज्ञप्ति

प्रार्थी मैसर्स मुकुन्द एडवाईजर्स एलएलपी जरिये पार्टनर श्रीमती हेमा अग्रवाल पता दुकान नम्बर 20, खन्दा माणक चौक थाना, बडी चौपड, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर के 248, 249, 253, 254, 270 कुल किता 5 कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर भूमि मे स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना **"रंगनाथपुरम"** के आवंटियों को पट्टे जारी करने का निवेदन किया गया है। विकासकर्ता द्वारा योजना का रेरा पंजीकरण करवा लिया गया है – रेरा पंजीयन क्रमांक RAJ/P/2022/1937 दर्ज है। योजना के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि योजना की अनुमोदन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और जविप्रा द्वारा पट्टे जारी किये जाने है। आवंटी वांछित दस्तावेजात एवं नियमानुसार आवेदन कर **दिनांक** 6.6.22 से पट्टा प्राप्त कर सकते है।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की योजना "रंगनाथपुरम" का दिनांक 6.6.22 को कैम्प प्रस्तावित किया गया है। अतः नागरिक सेवा केन्द्र मे उक्त योजना से सम्बन्धित पत्रावलियों को प्राप्त कर उसी दिन जोन मे प्रेषित करने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें ताकि कैम्प दिवस को आवंटियों को लीजडीड जारी की कार्यवाही की जा सकें।
3. मैसर्स मुकुन्द एडवाईजर्स एलएलपी पता दुकान नम्बर 20, खन्दा माणक चौक थाना, बडी चौपड, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

PA/DR-541
3/6/22

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ( )जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी – 1499 दिनांक 01/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की रोज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिड़की/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	रजिस्टर्ड आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
102682	ग्राम कलवाड़ा के खसरा नम्बर 403 क्षेत्रफल 26175 वर्गमीटर भूमि का आरक्षण पत्र जोन के पत्र क्रमांक डी–569 दिनांक 18.1.2007 के द्वारा श्री चन्द्र सिंह पुत्र श्री ठाकुर पर्वत सिंह को जारी किया गया था।	ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द (राजदरबार) के आवासीय भूखण्ड संख्या 189 क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर	श्रीमती रितु अग्रवाल पत्नी श्री राहुल अग्रवाल	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-542
3/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ( ) जविप्रा / उपा / जोन–11 / 2022 / डी – 1500 दिनांक 01/6/22

विज्ञप्ति / सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट / नागरिक सेवा केन्द्र / एकल खिडकी / नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति / सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
105895	ग्राम झांई में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 384 / 768 क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 12.5.2008 के द्वारा श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गंगासहाय शर्मा को जारी किया गया था।	ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या 218 क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर	श्री सुरेश टाटीवाला पुत्र श्री विश्वेश्वर नाथ गुप्ता	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-543
3/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ( )जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी – 1501 दिनांक 01/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
105941	ग्राम झांई तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 670 क्षेत्रफल 15700 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 148 दिनांक 10.11.2006 को दांखा देवी पत्नी भंवरलाल को जारी किया गया।	ग्राम झांई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–302 क्षेत्रफल 18 वर्गमीटर	श्रीमती निर्मला पत्नी श्री महेश कुमार	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन –11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन –11
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-541
3/6/2022

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ( )जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी – 1502 दिनांक 01/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
104532	ग्राम झांई तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 670 क्षेत्रफल 15700 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 148 दिनांक 10.11.2006 को दांखा देवी पत्नी भंवरलाल को जारी किया गया।	ग्राम झांई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–322 क्षेत्रफल 18 वर्गमीटर	श्री अनिल कुमार सहाय पुत्र श्री श्याम नारायण सहाय	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11 ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11 ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-545
3.6.22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ( ) जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी – 1503 दिनांक 01/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
105024	ग्राम पालडी परसा में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 937, 939 की अवाप्त भूमि 3900 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 58 दिनांक 26.5.2007 को खातेदार श्री श्रवण पुत्र श्री झूंथा को जारी किया गया था।	ग्राम पालडी परसा तहसील सांगानेर के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–989 क्षेत्रफल 18 वर्गमीटर	शिल्पा मित्तल पुत्री श्री दीपक राज मित्तल	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R 546
3.6.22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ( )जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी–1362

दिनांक 20/5/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
श्रीमती प्रेमलता कासलीवाल पत्नी स्व. श्री ताराचंद कासलीवाल व श्री मनीष जैन पुत्र श्री महावरी जैन	निजी खातेदारी की आवासीय योजना स्वास्तिक ग्रीन सिटी के भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 512 वर्गगज	श्री मनीष जैन पुत्र श्री महावरी जैन	अपंजीकृत वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-547
3/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा.1 / जोन–1 / 2022 / डी– 1628 दिनांकः– 1/6/22

विज्ञप्ति

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना झालाना फेज–III के भूखण्ड संख्या–ई–6 का आंवटन पत्र श्री गोपीलाल पुत्र श्री चन्दालाल को जारी किया गया था। श्री गोपीलाल पुत्र श्री चन्दालाल की मृत्यु दिनांक 04.02.2009 मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। उनके वारिसों द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग (1) श्रीमती गंगादेवी पत्नि स्वः श्री गोपीलाल साहू (2) श्री सीताराम पुत्र स्वः श्री गोपीलाल साहू (3) श्री राधेश्याम पुत्र स्वः श्री गोपीलाल साहू (4) भंवरी देवी पुत्री स्वः श्री गोपीलाल साहू (5) मोतीदेवी पुत्री स्वः श्री गोपीलाल साहू अपना–अपना हिस्सा (6) श्री घनश्याम पुत्र स्वः श्री गोपीलाल साहू के पक्ष में हकत्याग किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

01/06/2022
उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-551
3/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

E/lallu/Raghunath Ji/vigyapti

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकःजविप्रा/उपा. जोन–08/2022/डी–1536 दिनांक 31/5/2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है, और इस लिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण **बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेशपुरी कॉलोनी** के सदस्यों द्वारा इसका मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। विकास समिति द्वारा भूमि के नियमन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये है। जिसके साथ विक्रय पत्र/इकरारनामा संलग्न किये गये है। जिसके आधार पर कृषि भूमि का मौके पर निरीक्षण करवाया गया। प्रथम दृष्टया भूमि का अकृषि प्रयोग किये जाने का साक्ष्य/रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ती हस्तान्तरियों का यह कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63(II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे। पुर्नग्रहित की जानी वाली भूमि का विवरणः–

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म भूमि वर्ग	खातेदार
कल्याणपुरा तहसील सांगानेर	605	0.26	गै.मु.बाह.	ओंकार, जयपाल, प्रभू, पांचू, भंवरलाल, महादेव पुत्र जीवण जाति मीणा सा.देह खातेदार
	727	0.06	बारानी 1	
	729	0.12	गै.मु.रास्ता	
	730/1	0.09	बारानी 1	
	731	1.14	बारानी 1	
	725/808	0.10	बारानी 1	
	728	0.30	बारानी 1	गुल्ली पत्नी बद्री, दीपक, दिनेश पुत्र बद्री, ममता पुत्री बद्री हिस्सा 1/12, चेतन, रामसहाय, श्योनाथ पुत्र नन्छा हिस्सा 1/6, चन्द्री पत्नी बिरदा, प्रताप, रामफूल, लालराम पुत्र बिरदा हिस्सा 1/3, चन्दा पुत्र मंगला हिस्सा 1/6, छोटू, प्रभू पुत्र काना हिस्सा 1/6, बृजेश कुमार पुत्र देवा हिस्सा 1/12 जाति मीणा सा.देह. खातेदार

PRO/R-552
3.6.22

Scanned with CamScanner

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.झ्रा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में स्व प्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90—क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है एवं तद्धीन बनाये गये राजस्थान (नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम 2012 के नियम 4 में किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 31/5/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन—8
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R.552
3.6.2022

Scanned with CamScanner

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–LU2012/JDA/2021-22/101498 4213 दिनांकः– 3-6-22

लोक सूचना

जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण लाल हिस्सा–पूर्ण, जाति–जाट सा. देह खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **गैर–कृषिक** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :–

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम–चौमू, तहसील–चौमू जिला–जयपुर	जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण लाल हिस्सा–पूर्ण, जाति–जाट सा. देह खातेदार।	8438 / 6562	0.0449
			8440 / 6562	0.0179
			किता–02	**कुल रकबा 0.0628**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 3-6-22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी–3107 दिनांकः– 3-6-2022

–ःसूचनाः–

पृथ्वीराज नगर में निजी खातेदारी की योजना सुन्दर नगर विस्तार के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	राधेश्याम मंगल पुत्र श्री चिमन लाल मंगल	46	222.22
2	आंचल मंगल पुत्री श्री संजय मंगल	40	216.86
3	रेखा मंगल पत्नी श्री संजय मंगल	39	222.22
4	जय कुमार मंगल पुत्र श्री राधेश्याम मंगल	44	222.22
5	राधेश्याम मंगल पुत्र श्री चिमनलाल मंगल	45	222.22
6	जय कुमार मंगल पुत्र श्री राधेश्याम मंगल	12	271.63
7.	संजय मंगल पुत्र श्री राधेश्याम	27	216.86
8.	रेखा मंगल पत्नी श्री संजय मंगल	20	230.84
9.	संजय मंगल राधेश्याम मंगल	13	216.85
10.	ज्योति मंगल जय कुमार मंगल	52	222.22
11	ज्योति मंगल पत्नी श्री जय कुमार मंगल	54	216.86
12	ज्योति मंगल पत्नी श्री जय कुमार मंगल	53	222.22
13	सरोज रानी मंगल पत्नी श्री राधेश्याम मंगल	58	199.56
14	जय कुमार मंगल राधेश्याम मंगल	01	895.56
15	मधुर मंगल पुत्र श्री संजय मंगल	03	882.65
16	मधुर मंगल पुत्र श्री संजय मंगल	04	861.64
17	राधेश्याम मंगल पुत्र श्री चिमन लाल मंगल	02	895.12
18	रितु अग्रवाल पत्नी श्री रवि कुमार अग्रवाल	34	286.17
19	रेखा मंगल पत्नी श्री संजय मंगल	17	222.22
20	रेखा मंगल पत्नी श्री संजय मंगल	19	212.06
21	संजय मंगल राधेश्याम मंगल	24	222.22
22	मधुर मंगल पुत्र श्री संजय मंगल	05	222.22
23	मधुर मंगल पुत्र श्री संजय मंगल	06	222.22
24	मधुर मंगल पुत्र श्री संजय मंगल	08	254.00
25	मधुर मंगल पुत्र श्री संजय मंगल	29	222.22
26	संजय मंगल राधेश्याम मंगल	28	222.22
27	संजय मंगल राधेश्याम मंगल	14	222.22
28	संजय मंगल राधेश्याम मंगल	25	222.22
29	रेखा मंगल पत्नी श्री संजय मंगल	18	222.22
30	मधुर मंगल पुत्र श्री संजय मंगल	07	254 00
31	आचल मंगल पुत्री श्री संजय मंगल	30	222.22
32	रेखा मंगल पत्नी श्री संजय मंगल	23	222.22
33	रितु अग्रवाल पत्नी श्री रवि कुमार अग्रवाल	36	222.22

Scanned with CamScanner

34	मधुर मंगल पुत्र श्री संजय मंगल	38	222.22
35	रेखा मंगल पत्नी श्री संजय मंगल	16	222.22
36	संजय मंगल राधेश्याम मंगल	15	222.22
37	रेखा मंगल पत्नी श्री संजय मंगल	22	222.22
38	रेखा मंगल पत्नी श्री संजय मंगल	21	222.22
39	रितु अग्रवाल पत्नी श्री रवि कुमार अग्रवाल	35	222.22
40	रेखा मंगल पत्नी श्री संजय मंगल	37	222.22
41	जय कुमार मंगल पुत्र श्री राधेश्याम मंगल	43	222.22
42	जय कुमार मंगल पुत्र श्री राधेश्याम मंगल	42	222.22
43	करण मंगल पुत्र श्री अजय मंगल	32	222.22
44	ज्योति मंगल पत्नी श्री जय कुमार मंगल	50	222.22
45	जय कुमार मंगल पुत्र श्री राधेश्याम मंगल	11	271.63
46	जय कुमार मंगल पुत्र श्री राधेश्याम मंगल	41	216.86
47	संजय मंगल राधेश्याम मंगल	26	216.86
48	ज्योति मंगल पत्नी श्री जय कुमार मंगल	51	222.22
49	रितु अग्रवाल पत्नी श्री रवि कुमार अग्रवाल	47	323.51

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें। विज्ञप्ति प्रकाशन की राशि स्वंय भूखण्डधारी वहन करेंगें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोटः– विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....D-1186.....

दिनांक.....03-6-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति** की योजना **रामेश्वर धाम जयचन्दपुरा** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करतें हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे. मे)	स्वामित्व
जयचन्दपुरा तहसील जयपुर	122/141	2.6305 (हिस्सा पूर्ण)	पार्वती देवी पत्नि प्रकाश चन्द हि. पूर्ण जाति महाजन नि. 162, रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा, जयपुर
	73/126	0.0632 (हि. 124/889)	
	73/127	0.0759 (हि. 124/889)	
	74/128	0.2782 (हि. 124/889)	
	66/124	22.0680 (हि. 124/889)	
	कुल किता 5	**कुल 25.1158 हैक्टे.**	
नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर	2	1.1700 (हि. 76/117)	पार्वती देवी पत्नि प्रकाश चन्द हि. पूर्ण जाति महाजन नि. 162, रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा, जयपुर
	3	0.5600 (हिस्सा पूर्ण)	
	5	0.5500 (हिस्सा पूर्ण)	
	6	0.0900 (हिस्सा पूर्ण)	
	16	0.0500 (हिस्सा पूर्ण)	
	291	1.4800 (हि. 28/37)	लवकुश पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम नृसिंहपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर
	कुल किता 6	**कुल 3.9000 हैक्टे.**	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 308, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....03-6-2022.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त

जोन–12 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 1183   दिनांक : 03-6-2022

सार्वजनिक सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित खातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु आवेदक खातेदार चौपडा कालोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक कल्याण सहाय पुत्र श्री कानाराम जाट निवासी ग्राम सिवार जयपुर द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3ए के स्थान पर सामान्य आवासीय में परिवर्तन उपयोग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल	90ए से पहले का स्वामित्व	90ए पश्चात् ख. नं.	90ए पश्चात् क्षेत्रफल	वर्तमान स्वामित्व
सिंवार /जयपुर	274/1221	7 बीघा 13 बिस्वा	चौपडा कालोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री कल्याण सहाय पुत्र श्री कानाराम जाट कार्यालय पता 11–12 विवेक विहार गांधी पथ पश्चिम लालरपुरा 200फीट बाईपस, जयपुर	274/1221	7 बीघा 13 बिस्वा	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नामान्तकरण संख्या 1829 दिनांक 12.11.16

अतः उक्त भूमि का उपय मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3ए के स्थान पर सामान्य आवासीय में अनुमोदन किये जाने के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करावें अन्यथा नियत अवधि पश्चात नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दूरभाष – +91–141–2574793 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555
e-mail:

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101873 दिनांक: 01/06/2022

लोक सूचना

मैसर्स केडिया बिल्डर्स 162, रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर एवं रामबाबू पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहम्ण सा. डी. 03, मूर्तिकला कॉलोनी, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर जरिये मुख्त्यारआम श्री नमन केडिया पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी–160 केडिया पैलेस, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर–302013

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:–

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	भांकरोटाकलां, सांगानेर (जयपुर)	**मैसर्स केडिया बिल्डर्स 162, रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर**	2573	9100	0.91
		मैसर्स केडिया बिल्डर्स हि. 2/3, 162 रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर रामबाबू पुत्र रामजीलाल हि. 1/3, जाति ब्राहम्ण सा. डी. 03, मूर्तिकला कॉलोनी, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	2585	1500	0.15
			2585/1	2400	0.24
				कुल	**1.30**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **01-06-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 1182 दिनांक : 03-6-2022

सार्वजनिक सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित खातेदार श्रीमती कंचन गोठवाल पत्नि श्री राजकिशोर गोठवाल जाति बैरवा सा. प्लाट नं. 144, नन्दपुरी कालोनी हवा सडक, बाईस गोदाम, जयपुर द्वारा मोटल प्रयोजनार्थ स्वीकृति भूमि के स्थान पर औद्योगिक उपयोग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल	पहले का स्वामित्व	वर्तमान स्वामित्व
तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर	नासनौता	252	2.48 हैक्टयर	श्रीमती कंचन गोठवाल पत्नि श्री राजकिशोर गोठवाल जाति बैरवा सा. प्लाट नं. 144, नन्दपुरी कालोनी हवा सडक, बाईस गोदाम, जयपुर	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		कुल किता 1	**2.48 हैक्टयर**		

अतः उक्त भूमि का उपयोग मोटल के स्थान पर औद्योगिक में अनुमोदन किये जाने के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करावें अन्यथा नियत अवधि पश्चात नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 3/06/2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर